विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

// निविदाएं -आमंत्रित //

निविदा क्रमांक/ 12303 /वि.स./स्टे./22 भोपाल,दिनांक 15/7/2022

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के समस्त चतुर्थ श्रेणी पुरूष/महिला कर्मचारियों के उपयोगार्थ वर्दी के कपड़े एवं वर्दी के साथ लगने वाली अन्य सामग्री का क्रय किया जाना है। इच्छुक पंजीकृत फर्मों द्वारा प्रस्तावित सामग्री एवं कपड़ा प्रति मीटर/प्रति नग की दर (GST सहित), नमूना संलग्न करते हुये छूट इत्यादि की जानकारी एवं राशि रूपये 10,000/- (अक्षरी राशि रूपये दस हजार) मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/मियादी जमा (प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा भोपाल के नाम से देय) सहित सीलबंद निविदाएं दिनांक 03.08.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे तक विधान सभा के प्रवेश-पत्र कार्यालय के समक्ष रखी निविदा पेटी में डाली जा सकती है। निविदा फार्म एवं सामान्य शर्तें कार्यालयीन दिवस में इस सचिवालय के प्रवेश-पत्र कार्यालय से प्रात: 10.00 बजे से 05.30 बजे तक नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती है। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण विधान सभा की वेबसाइट **www.mpvidhansabha.nic.in** पर भी देखा जा सकता है, निविदा दिनांक 03.08.2022 को अपरान्ह 3.30 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जावेंगी।

क्रय किये जाने वाले कपड़े एवं अन्य सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	सामग्री का नाम	क्रय की मात्रा
1	सफेद टेरीकाट कपड़ा (रेमण्ड्स क्वा.क्र.2824 ट्रॉविन)	606 मीटर
2	नेवी ब्लू पेंट का कपड़ा (रेमण्ड्स क्वा.क्र.2824)	57.60 मीटर
3	स्काई ब्लू शर्ट का कपड़ा (रेमण्ड्स क्वा.क्र.1203)	120 मीटर
4	साडियां मय ब्लाउज के	56 नग
5	ब्लेक लेदर शूज़ (चौकीदारों के उपयोगार्थ)	24 जोड़
6	ब्लेक लेदर बेल्ट (चौकीदारों के उपयोगार्थ)	24 नग
7	नेवी ब्ल्यू मोजे (चौकीदारों के उपयोगार्थ)	48 जोड़
8	विशिल कार्ड विशिल सहित (चौकीदारों के उपयोगार्थ)	24 नग

1. निविदाओं को मान्य व अमान्य करने तथा क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा परिवर्तित करने का संपूर्ण अधिकार मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय भोपाल को होगा।
2. बिना बैंक ड्राफ्ट या अपूर्ण निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

E:\Stationary Work 2020\Nivida Vardi.doc

विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

// निविदा - फार्म //

क्रमांक.......................

प्रति,

प्रमुख सचिव महोदय,
मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,
भोपाल.

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...निविदाकर्ता, दिनांक.................. को वर्दी का टेरीकाट कपड़ा एवं अन्य सामग्री के क्रय से संबंधित प्रकाशित निविदा प्रस्तुत करता/करती हूँ :-

1. फर्म / संस्था का नाम :- ....
2. निविदाकर्ता का नाम :- ....
3. पिता/पति का नाम :- ....
4. स्थायी पता :- ....
5. अस्थायी पता :- ....
6. दूरभाष/मोबाइल नम्बर :- ....
7. धरोहर राशि का विवरण:- बैंक का नाम..

   बैंक ड्राफ्ट क्रमांक....................दिनांक................

   राशि रूपये..

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर...........................

निविदाकर्ता का नाम...............................

फर्म/संस्था की सील

E:\Stationary Work 2020\Nivida Vardi.doc

विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

वर्दी का कपड़ा एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु नियम एवं शर्तो का उल्लेख निम्नानुसार है :-

1. फर्मो द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरें GST सहित दर्शायी जाये। फर्मो के द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री उन्हें स्वयं के व्यय पर विधान सभा में पहुंचानी होगी ।
2. निविदा में प्रदाय सामग्री की कम्पनी, गुणवत्ता का पूर्ण विवरण मय क्वालिटी क्रमांक एवं नमूने सहित देना होगा। नमूने के अभाव में सामग्री के क्रय पर विचार किया जाना संभव नही होगा ।
3. निविदाकर्ता को प्रतिष्ठान का पंजीयन क्रमांक, दुकान स्थापना अधिनियम के तहत् प्रमाण-पत्र, विगत 02 वर्षों का आयकर, GST पंजीयन क्रमांक अंकित करने के साथ-साथ वर्तमान में वैध PAN No., वस्तु एवं सेवाकर (GST) अदायगी का अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त सभी प्रमाण-पत्र अद्यतन होना आवश्यक है ।
4. निविदाकार को निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 10,000/- (अक्षरी राशि रूपये दस हजार मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा भोपाल** के नाम जमा करना होगा। जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा ।
5. सामग्री प्रदाय का आदेश मिलने के पश्चात फर्मो द्वारा 07 दिवस् के भीतर सामग्री प्रदाय करनी होगी। समय पर सामग्री प्रदाय नही करने पर आपकी निविदा निरस्त कर, अमानत राशि भी राजसात की जा सकती है।
6. निविदाओं की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा को होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकेगा ।
7. निविदा दिनांक 03.08.2022 को अपरांह 3.00 बजे तक विधान सभा परिसर स्थित प्रवेश पत्र कार्यालय में रखी निविदा पेटी में डाली जा सकती है तथा निविदा उक्त दिनांक को ही अपरांह 03.30 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष समिति कक्ष क्रमांक 02 में खोली जावेगी ।
8. निविदाकार उसी गुणवत्ता के कपड़ों एवं सामग्री की दरें एवं नमूने प्रेषित करे, जो निविदा में चाही गई है, जिनकी उपलब्धता आगे भी बनी रहे ।
9. जिस संस्थान की निविदा स्वीकृत होगी उसे छोड़कर शेष अन्य निविदाकारों की भी अमानत राशि का बैंक ड्राप्ट आवेदन प्राप्त होने पर यथा समय पावती लेकर वापस किया जावेगा ।
10. सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी / वृद्धि की जा सकती है ।
11. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा ।
12. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि निविदाकार को उपुर्यक्त सभी शर्ते मान्य है।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

E:\Stationary Work 2020\Nivida Vardi.doc

क्रमांक 01 से 12 तक दर्शित नियम एवं शर्ते मान्य हैं :-

1. टेण्डर फार्म पर किये गये हस्ताक्षर मेरे स्वयं के हैं।
2. टेण्डर फार्म पर दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य हैं तथा किसी भी गलत जानकारी के लिये मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. आदेशित वर्दी का कपड़ा/अन्य सामग्री दिये गये समय के भीतर न प्रदाय करने, प्रेषित सामग्री उचित गुणवत्ता की न होने पर मेरी धरोहर राशि राजसात कर ली जायें।
4. वर्दी का कपड़ा/अन्य सामग्री क्रय के संबंध में कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय मेरे लिये सर्वोपरि होगा तथा उसे मैं स्वीकार करूंगा/करूंगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म / संस्था का नाम / सील